न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2015

अनवान :

1. शुभम
2. शिवम

नाबालिगान पुत्र श्री सुशील पुत्र श्री महावीरप्रसाद जाति ब्राहम्ण हर दोनों नाबालिगान बजरिऐ इष्ट मित्र वली कुदरती सगी माता रेनू पत्नि सुशील जाति ब्राहम्ण निवासी रामगढिया हाल निवासी बुंगी तहसील राजगढ जिला चूरू।

- सायलान

बनाम

1. महावीरप्रसाद पुत्र मुन्शीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद कारेला : **सायलान**

वकील श्री दिवानसिंह : **गैरसायल**

निर्णय **दिनांक : 25.6.18**

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 53/59 के मु0नं0 24 के किला नं0 11, 17/2, 18 से 24 की 2.1370 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 6 से 25 की 4.8960 है0 मु0नं0 26 के किला नं0 6, 7, 14 से 17, 24, 25 की 2.0240 है0 मु0नं0 40 के किला नं0 4, 5 की 0.506 है0 मु0नं0 41 के किला नं0 1 से 6 की 1.5180 है0 मु0नं0 42 की 1 से 4, 7 से 10 की 1.9980 है0 कुल किता 53 की 13.2180 है0 कृषि भूमि में वादीगण के दादा प्रतिवादी महावीर प्रसाद के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

सायलान दावा के प्रतिवादी सुशील के पुत्र पुत्री है तथा प्रतिवादी सं0 1 महावीर के पौते पोती है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता मुन्शीराम की मृत्यु होने पर वादीगण के दादा प्रतिवादी महावीरप्रसाद को वादगत भूमि अपने पिता मुन्शीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी अविभाजित सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी महावीर प्रसाद के साथ जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है। यदि प्रतिवादी महावीर कृषि भूमि को रहन बैय मुंतकिल कर देता है तो सायलान को ना पूरा होने वाली क्षति होगी इसलिए सायलान, गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के कानूनी मजाज है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि महावीर प्रसाद की पुत्री सरोज का नाम सजरा में नहीं है, महावीर की दो बहिनें कृष्णा व कमलेश का नाम भी सजरा में नहीं है धर्मवीर व उसकी पत्नी भंवरी दोनों फौत है, धर्मवीर के पुत्र अमित व पुत्री सूरज का नाम भी सजरा में दर्ज नहीं है। दोनों

नाबालिग है। नाबालिग के खिलाफ संरक्षण में ही वादमित्र/वादार्थ संरक्षण के जरिये ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और धर्मवीर के पुत्र अमित का नाम तो वाद शीर्षक में ही दर्ज नहीं है। दावा व दरख्वास्त में पक्षकारान की हिस्सा कसी भी गलत दर्ज की है न्यायालय के समक्ष आधे अधूरे एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय का कीमती समय जाया कर रहे है। दावा व दरख्वास्त चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिजी के है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि सायलान के दादा महावीर प्रसाद के नाम भूमि है। महावीर प्रसाद को यह भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण का वादभूमि में जन्म से हक हिस्सा है। अप्रार्थी वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें। सभी पक्षकारों को दावा में प्रतिवादी बनाया गया है। महावीर का रिकार्ड में 1/5 हिस्सा है। एकमात्र यही सम्पति है जो वादीगण को प्राप्त होनी है। यदि इसे ही रहन बैय मुन्तकिल कर देते तो अपूरणीय क्षति होगी। वादभूमि दादालाई साबित है। अप्रार्थी ने स्वयं इन्हे अपेन पौते पौती माना है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किये कि वादीगण की माता रेणु व उसके पति सुशील की आपस में नहीं बनती। उनमें कई सिविल वाद, आपराधिक मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन है। पिछले वर्ष 2013 से 2015 तक दौराने विवाद वादभूमि को रहन बैय का कोई प्रयास नहीं किया है। सजरा गलत है। महावीर की दो बहने कृष्णा व कमलेश उर्फ गुड्डी है। धर्मवीर व उसकी पत्नी फौत है, उनके दो संतान है जो नाबालिग है तथा ओमप्रकाश के संरक्षण में है; इसलिए उन्हे जरिये वादमित्र पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इस बिन्दु पर दावा खारिज योग्य है। महावीर के दो पुत्र सुशील, महेश व पुत्री सरोज है। सरोज को दावा में पक्षकार बताया है मगर उसका हिस्सा नहीं दर्शाया गया है। प्राथमिक तौर पर इन कमियों के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने दावा सुशील से रंजिशवश पेश किया है। गैरसायल/प्रतिवादी सुशील की आजीविका का आधार कृषि है, इसलिए कृषिभूमि को रहन बैय करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण घोषणा द्वारा हिस्सा प्राप्त कर सकते है, मगर पिता के जीवित रहते दादा से घोषणा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने पर प्रतिवादी को भूमि सम्बन्धी उपयोग व अन्य सुविधाओं में बाधा होगी। सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो केसीसी सम्बन्धी सुविधा की छूट दी जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अप्रार्थी के पौत्र है व प्रार्थना पत्र में वर्णित वादभूमि दादालाई पैत्रक सम्पति है। इन दोनों बिन्दुओं पर दोनों पक्ष सहमत है। जब उक्त दोनों बिन्दु स्वीकार्य है तो प्रार्थीगण का पैत्रक भूमि में जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है।

वादभूमि में प्रार्थीगण का कितना हक हिस्सा है यह मूलवाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णित होना है, मगर मूल वाद के निर्णय तक वादभूमि को अन्तरण से सुरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। वादभूमि के अन्तरण से प्रार्थीगण को असुविधा होगी व अपूरणीय क्षति की संभावना है। साथ ही वादभूमि के अन्तरण से वाद कलिष्टता व वाद निरन्तरता की सम्भावना है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

चूंकि वादभूमि बैंक के रहन है व खातेदार काश्तकार को कृषि हेतु बैंक ऋण की आवश्यकता होती है। वादभूमि के बैंक रहन होने व ऋण नवीनीकरण से प्रार्थीगण को भी कोई एतराज नहीं है, इसलिए अप्रार्थी को सरकारी बैंक से कृषि कार्य हेतु बैंक ऋण की सुविधा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा जारी की जाती है कि अप्रार्थी रोही मौजा चक 12 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 53/59 की कुल किता 53 की 13.2180 है0 में अपने नाम दर्ज वादगत कृषि भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे ना ही दीगर तरीके से खुर्द बुर्द करे ना ही वादीगण को वाद भूमि काश्त करने व करवाने से रोके। अप्रार्थी सरकारी बैंक से कृषि कार्यो के लिए बैंक ऋण की सुविधा लेने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 25-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़